pointed suggestions, which the Minister may incorporate. Dr. Satyanarayan Jatiya.

THE BEEDI WORKERS WELFARE CESS (AMENDMENT) BILL, 1998

डा० सत्यनारायण जटिया (श्रम मंत्री): उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए"।

उपसभापति महोदया, माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 कारखानों और घरों में कार्य करने वाले बीड़ी कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए अधिनियमित एक प्रगतिशील विधान है। इस अधिनियम में आवासीय सहायता, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा देख-रेख एवं शैक्षणिक व मनोरंजन संबंधी सहायता जैसे कल्याणकारी उपायों को लागू किए जाने की परिकल्पना की गई है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जॉन एफ० फर्नांडिस) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अन्तर्गत, निर्मित बीड़ियों पर लगाए और उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्र किए गए उपकर में से निधि की संचित राशि का सृजन किया जाता है जिसे भारत की समेकित निधि में जमा करवाया जाता है। बीड़ी क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाता है। देश में लगभग 44 लाख बीड़ी कर्मकार हैं। प्रारम्भ से ही यह निधि अपने अस्पतालों और औषधालयों, सामूहिक बीमा, शैक्षणिक सहायता और आवासीय सहायता योजनाओं से बीड़ी कर्मकारों के एक बड़े वर्ग को राहत उपाय मुहैया कराये जाने में समर्थ रही है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के प्रयोजनार्थ, निर्मित बीड़ियों पर, प्रति हजार निर्मित बीड़ियों के हिसाब से 10 पैसे से 50 पैसे तक उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान करता है जैसा केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे।

उपकर की वर्तमान दर प्रति हजार निर्मित बीड़ियों पर 50 पैसे की दर से निर्धारित की गयी है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 21 करोड़ रुपये की संचित निधि का सृजन होता है। विगत पांच वर्षों के दौरान, वर्तमान में अन्तशेष (क्लोजिंग बेले-स) में धीरे-धीरे कमी हो रही है, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के पास 6.53 करोड़ रुपए की धनराशि है। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए सहायता का मौजूदा स्तर बनाए रखने के लिए भी यह निधि अपर्याप्त है। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों को उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं के विद्यमान स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से, और नयी योजनाओं को बीड़ी कर्मकारों पर लागू किए जाने तथा कतिपय योजनाओं के अंतर्गत लाभों के स्तर में वृद्धि करने के लिए, कल्याण निधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 40 से 50 करोड़ रुपए की संचित निधि सृजित किए जाने की आवश्यकता होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उपकर की दर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5/- रुपए प्रति हजार निर्मित बीड़ियां किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। यद्यपि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम को बार-बार के संशोधनों से बचाने के उद्देश्य से उच्चतर सीमा का प्रावधान किया गया है किन्तु अधिसूचित की जाने वाली उपकर की दर को फिलहाल प्रति हजार निर्मित बीड़ियों पर एक रुपया ही रखा जाएगा। प्रति हजार निर्मित बीड़ियों पर एक रुपए की उपकर की इस दर के परिणामस्वरूप निधि को अर्थक्षम बनाने के लिए बीड़ियों के उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 42 करोड़ रुपये के बराबर बसूली होगी।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में इस संशोधन से पूरे देश में बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु पर्याप्त सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं इस गरिमापूर्ण सदन के सर्वसम्मत समर्थन के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Now, the Bill is open for discussion. Shrimati Urmilaben Chimanbhai Patel.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998 I won't take much of your time but still the plight of the beedi workers has to be highlighted. There are thousands of workers working in this industry. They consist mainly of women and children. They come mostly from Scheduled Castes and Scheduled Tribes or other backward classes. They come from deprived classes. They do not have capacity to fight for their own rights. Therefore, it is the responsibility of the House and the Government to take care of this unorganised sector of the society.

Sir, I would like to bring to the notice of the Government, through you, that there is no security in this occupation. Whenever the owner of the beedi industry wants to remove any worker, he can do it without giving any notice of removal. These workers go to the industry with the hope of working. But the owner of the industry says that their services are not required. That is the plight of the beedi workers.

Secondly, I would like to point out about the conditions in which beedi workers are working. This is a hazardous occupation. These workers, especially the young children are prone to tuberculosis; and women are mostly anaemic. They are prone to hazardous diseases like cancer. Many of these workers are suffering from one disease or the other, but no care has been taken, no regular medical check-up has been organised at their working place. Their working place is also very congested. Less ventilation facilities are there. These men, women and children are working in totally unhygienic conditions. I would like to point out that whatever be the wages that are finalised, in practice, they are not given their minimum wages or the wages that are finalised per beedi. They are totally exploited. Women and children are given priority. The main reason for that is that they can be easily exploited. Young children below the age of 14 years should not be allowed to work in this industry. Moreover, as they are all uneducated, there should be facilities to educate the children. Adult education classes or some primary and basic education and continuing education facilities should be extended to them at the work-place.

I would like to point out that there is a discrimination on the basis of sex in the matter of payment of wages. I would also say that pregnant women are made to work up to the last moment. No maternity leave is granted to them and no maternity care is provided for them. I would also like to point out that as they are coming from poor families and as it is a hazardous occupation, they badly need nutritive food. There is no provision for that. I think there should be some provision at the work-place, especially for women and children and those who are anaemic or suffering from diseases, for nutritive food and the needed medicines.

No rules and regulations or labour laws are applied to these beedi workers as they are unorganised. I think it should be compulsory to maintain a roll of the workers and they should be given identity cards so that they can be identified and they can take the help of labour organisations also. There should be a rule to provide them with the weekly leave, sick leave and other facilities that are available to other organised labour. I think these are bare necessities for those who are engaged in this occupation.

With these few points, I do support the Bill that the hon. Minister has brought and I congratulate him on that. Still, I insist that the labour laws should be applied fully to these beedi labourers and whatever that is collected should be used for the betterment of the beedi workers. Thank you.

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): महोदय, मैं इस "बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक 1998" का समर्थन करता हूं तथा सरकार और माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ये बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्द्धक संशोधन विधेयक ले करके आए हैं। महोदय, मैं एक इस पृष्ठभूमि में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह जो बीड़ी का काम है उनमें से 65 प्रतिशत के आसपास मध्य प्रदेश में इस बीड़ी के पत्ते से संबंधित कार्य होता है। नशे की दृष्टि से यह कमजोर प्रकार का नशा है। इसकी स्थिति यह है कि वहां पिछले वर्ष तक लगभग ढाई सौ करोड़ वार्षिक की आय मध्य प्रदेश के अंदर इस बीड़ी से होती थी और प्रतिदिन कोई 20 करोड़ के आस-पास बीड़ी का निर्माण होता था और लगभग 20 लाख श्रमिकों को इसके अंदर रोज़गार प्राप्त था। इसकी पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो हमको यह पता लगेगा कि लगभग 50 लाख मानक बोरे वहां पर तेंदु पत्ते के संग्रहित होते हैं और जिसके ऊपर बहुत से आदिवासी-वनवासी क्षेत्र के लोगों की रोज़ी-रोटी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए सब से पहले यह कार्य इतना तेजी से चला कि स्थिति यहां तक आ गई कि खेती के लिए मज़दूर मिलने बंद हो गए। और पंडित रवि शंकर जी जोकि उस समय वहां के मुख्य मंत्री थे, उन्हें एक कानून बनाकर यह कहना पड़ा कि जब फसल की बुवाई हो, कटाई हो तो उस समय गांव के अंदर कोई बीड़ी बनाने का काम नहीं करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया और वैध ठहराया गया। फिर धीरे-धीरे कुछ कानून बीड़ी श्रमिकों के बारे में बनने लगे और जब वह कानून बने तो उन कानूनों के कारण एक विपत्ति उत्पन्न हुई जिस में पहले 1947 तक कारखानों के अंदर बीड़ी निर्माण का काम होता था, पर जब उन्होंने देखा कि वहां लेबर लॉज लागू हो रहे हैं, वहां पर पी०एफ० के कानून लागू होने लगे हैं, वहां पर मिनिमम वेजेज की बात होने लगी है, श्रमिकों की शिक्षा की बात होने लगी है तो जो बीड़ी के निर्माण में लगे हुए लोग थे, उन को घरों के अंदर कुछ पत्ते, कुछ तम्बाकू और कुछ डोरा देना शुरू किया गया और उन से घरों के अंदर यह काम कराना शुरू किया ताकि वे उस कानून से बच सकें। लेकिन उन के कल्याण की भिन्न-भिन्न योजनाओं पर इस का विपरीत असर होने लगा। जब यह काम घर-घर में फैल गया तो बीमारियां होने लगीं, न्यूनतम मजदूरी के कारण बड़ी परेशानी हुई, कर्ज बढ़ने लग गए, लोगों में बेरोजगारी और कर्जे के कारण उन की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी तब एक तैलंग समिति का गठन किया गया। महोदय, माननीय श्री सत्यनारायण जटिया जी जिस राज्य से आते हैं, वहां पर इन श्रमिकों के कल्याण की योजना कैसे बनीं, मैं यह कहना चाहता हूं। वह एक गैर-सरकारी समिति बनी और तैलंग समिति ने जो सिफारिश की, उस को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एडॉप्ट किया और केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1976 का यह बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम बनाया और उस समय यह कहा गया कि एक किलो तम्बाकू के ऊपर एक रुपया सेस के रूप में वसूल किया जाएगा, लेकिन यह महसूस किया गया कि यह बहुत कम है वेयर हाउस से जब इन की डिलीवरी होती है तो उस पर लगने वाले टैक्स से बहुत कम पैसा आता है जिस कारण कर्मकारों के कल्याण की योजना पूरी नहीं हो सकती। तो सन् 1982 के अंदर इस कानून में संशोधन किया गया और उस के तहत 10 पैसे और 50 पैसे की अधिकतम राशि तय की गई। महोदय, मैं आप के माध्यम से और इस सदन के माध्यम से इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने 10 पैसे को बढ़ाकर न्यूनतम 50 पैसे किया और 50 पैसे को बढ़ाकर 5 रुपए तक कर दिया ताकि अधिकतम राशि वहां तक वसूल की जा सके। यह वृद्धि इतनी अधिक है कि अब इस से होने वाली आय से श्रमिकों के लिए कुछ व्यवस्था की जा सकेगी।

महोदय, यह काम इतना कष्टकर और शरीर में इतने रोग उत्पन्न करने वाला है कि आज से दो दशक पहले जो श्रमिक बीड़ी का काम करते थे, उन को न्यूनतम 50 ग्राम घी मुफ्त देने की व्यवस्था थी। आदमी के शरीर में रोगों से बचने के लिए क्षमता उत्पन्न हो, इस की उस में व्यवस्था की गयी थी, लेकिन आजकल तो न्यूनतम मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया है। महोदय, मेरे अजमेर शहर में लगभग 75 हजार के आसपास लोग बीड़ी के काम में लगे हुए हैं जिस से उन मजदूरों का जीवन टी०बी०, कैंसर जैसी बीमारियों से नारकीय हो गया है। इसलिए मैं आप के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप ने इतना कल्याणकारी संशोधन किया है तो उस में कुछ काम और होना चाहिए। वह काम यह है कि बीड़ी निर्माण के स्थान के लिए जो शेड हो या जो घर हो उस का स्पशलाइज्ड डिज़ाइन करवाइए। महोदय, आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां हुडको जैसी कई संस्थाएं हैं जिन के माध्यम से इस तरह के स्पेशलाइज्ड शेड्स बनवाइए जिस में कि आबोहवा की व्यवस्था ठीक हो क्योंकि यह दम घोंटू काम है। इस काम में जहरीला व प्रदूषित वातारण पैदा होने के कारण इतनी अधिक

बीमारियां हो रही हैं कि जिन से बचाव बहुत आवश्यक है। अब गरीब आदमी तो ये शेड्स नहीं बना सकता, मैं चाहता हूं कि सरकार उन के लिए कुछ करे। उस के लिए अनुदान दे।

महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया कि लगभग 44 लाख लोग बीड़ी निर्माण के काम में लगे हुए हैं। आंध्रप्रदेश में इन की संख्या सवा 6 लाख है, मध्य प्रदेश में साढ़े 6 लाख लोग से अधिक है, तमिलनाडु में भी लगभग सवा 6 लाख है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में साढ़े 4 लाख के आसपास है और मेरे राज्य में इस काम में लगे लोगों की संख्या 3 लाख है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन श्रमिकों के सामूहिक बीमे की आप व्यवस्था करें क्योंकि ये सामूहिक रूप में काम करते हैं। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या घनत्व के हिसाब से अधिक संख्या में रहते हैं, इसलिए उन के सामूहिक बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा कि श्रमिकों की संख्या के अनुपात में इन की चिकित्सा व्यवस्था भी होनी चाहिए। कुछ आवासीय व्यवस्था भी की जानी चाहिए। महोदय, मैं डवलपमेंट ट्रस्ट का चैयरमैन था। मैंने वहां बीड़ी उद्योग में लगे कर्मकारों को कुछ ई०डब्ल्यू०एस० के क्वार्टर्स दिए थे। अभी देशभर में लगभग 14,180 क्वार्टर्स ही इन बीड़ी कर्मकारों को दिए गए हैं जबकि इन की संख्या 44 लाख है। तो यह अनुपात बहुत थोड़ा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हर शहर के अंदर इन कर्मकारों के लिए कुछ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के नाते आप क्वार्टर्स उपलब्ध कराएं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसा उर्मिला बहन ने कहा, परिचय पत्र नहीं देते, आज 80 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनके बारे में रिकार्ड पर कुछ भी नहीं है कि वे बीड़ी का काम करते हैं, इसलिए परिचय-पत्र देना आवश्यक करें और परिचय-पत्र का जो वाएलेशन करे उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था हो, उसको चेकिंग के बराबर व्यवस्था हो। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, महोदय कि उन श्रमिकों को लोगबुक देने की व्यवस्था हो। आपने एक हजार बीड़ी के ऊपर सेस की बात कही, मजूदरी उसकी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसमें यह मैंडेटरी प्रोवीजन हो कि इसकी लोगबुक में एंट्री होगी, जिस पर आपके अधिकारियों के भी दस्तखत हों, उद्योगपति के प्रतिनिधि के दस्तखत हों और श्रमिक के दस्तखत हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका शोषण इसके अंदर नहीं हो रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल इन कानूनों से बचने के लिए बिचौलिए बीच में आने लग गए हैं और बिचौलियों की मार्फत बीड़ी बनाने का काम शुरू हो गया है, इसलिए इन बिचौलियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है इस पर भी सरकारी कानून की दृष्टि से कुछ काम होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं एक बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा कि अजमेर में शहर के बीच में जो स्लम है, उसके दोनों तरफ 75,000 के करीब यह लोग रहते हैं। वहां यह लोग नर्क का जीवन जीते हैं, इधर पत्तों के ढेर लगे हुए हैं और उधर बदबू आ रही है, घर कच्चा है, खाने की रोटी देनों टाइम नसीब नहीं है, शोषण बराबर हो रहा है, बीमारी असाध्य हो रही है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा मंत्री महोदय कोई एक केन्द्र का दल यहां से चला जाए और वहां कुछ चिकित्सालय की व्यवस्था हो जाए, उनको शोषण से मुक्ति कैसे मिल सकती है उसकी थोड़ी व्यवस्था हो जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी यह बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं और उसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा, पर जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके लिए उस पर स्टेचुटरी वार्निंग होना जरूरी करना चाहिए। मैंने यहां बीड़ी और तम्बाकू के बारे में भाषण दिया, अगर मैं स्टेचुटरी वार्निंग के रूप में कुछ बात नहीं करूंगा तो यह बीड़ी पीने वालों के लिए ठीक नहीं होगा और शायद कानून मेरे पर लागू होगा। इसलिए एक दोहा कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूं, जो पत्नियों की ओर से है, जिनके पति सिगरेट और बीड़ी पीते हैं उनके लिए—

हाथ जले उंगली जले, जले बत्तीसों दंत।
कर जोड़ेया कामन कहे छोड़ तंबाकू कंक।

यह बीड़ी पीने से हाथ भी जलता है, उंगलियां भी जलती हैं, दांत भी जलते हैं और कलेजा भी जलता है। इसलिए जो बीड़ी या सिगरेट पीता हो, पत्नियां उनसे कहती हैं कि तम्बाकू छोड़ दीजिएगा। आप यह कानून कल्याण के लिए लागू रखिएगा, जिसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Sir, while supporting this legislation, I wish to bring to the notice of the Government, through you, our experience about the administration of this Act during the

last so many years. Many changes have been made, but I must submit that the experience of the workers has been very bitter so far as the administration of the Act is concerned. Therefore, the Labour Department should conduct a study of the experience which the workers have in the administration of this Act, and also of the benefits that were given under this Act. First of all, the intention was to impose a cess on 2,40,000 crore Beedi. The amount envisaged at that time was Rs. 70 crores, but we have collected only Rs. 21 crores. Why? It is because a large number of workers are not brought under the law. They have not nothing. The Beedi Cigar Act of 1966 was a Central Act. It was left to the States to implement. Only three or four States have implemented. Other States have not implemented it. And in those States also it is not fully implemented. What happened then? Workers' registers are not there. The identity cards are not there. There is nothing. Contractors are there! Contract System is forbidden in the industry, by the Court's instructions, but it is being carried on. Those contractors do not keep any registers. They do not issue any identity cards. All the workers are not covered.

That is one part of the story. The money which we have got has been utilised for very good purposes. But the point is that the workers do not get the benefits. According to the scheme, the workers are to get medical benefits. Some dispensaries are there. Unfortunately, there are no doctors in many of them. When doctors are there, there are no medicines. They are not properly run. There is nobody to see that these dispensaries are properly run, the doctors are there, the medicines are there so that the workers get the benefits. There is also a benefit called maternity benefit. There are some new changes. It has been limited to two deliveries. If a lady wants to get the benefit, she has to submit a certificate from the village officer. This women has to go to the village office and wait for some days. But she will get nothing. It means that all kinds of hurdles are created. The fund is owned by the workers. It is their own money. It is being administered by a welfare board. I have no objection to that. But the Central Government should tell the State Governments that when these ladies go there they must be given the certificate by the village officers. But that certificate itself takes so many months. Thus it is not being administered properly. Then there is some special treatment benefit. The money is not being given properly for that also. There is a housing scheme. I don't know how many houses are built, etc. I don't have the figures. But you will be able to tell me that. All these schemes remain on paper. Another is educational facilities given to the children of the workers. These are not properly utilised. When two lakhs of workers are there in a State there should be a regional office. Now we have one office in Bangalore. In Kerala we are having more than two lakhs of workers. We don't have any office there. If we have any problem, we have to send a petition to Karnataka and those gentlemen, who are the administrators, they will return it after some months. They will see to it that some objections are raised and the workers' point is not heard. This is the difficulty. Mr. Minister, you may be aware of many things, but not the whole details. I am only requesting you to go into the details to see that this administrative slackness is completely removed and they are geared up so that whatever benefit you want to give to the workers reaches the workers. That is the first point I want to make.

The second point is that all the workers should be covered. According to the proposal, you are going to levy a cess of Re. 1 and you are going to collect Rs. 21 crores. I have no objection to that. But in order to avoid coming to the Parliament often and on you have increased it to Rs. 5 at a stretch. I have no objection to that also provided that it is not left to the Government alone to decide. There is a

welfare board in which all parties are there and the Government's representative is also there. Next time when an increase is required the board should be consulted and the decision should be taken by the board and on the basis of that decision the Government should notify it. This is what I want to suggest by way of an amendment. I don't want to press the amendment. I want the Minister to consider this point during his reply and to accept this. This is about the Bill.

There is another major thing. I can give you an example. Sixty-four lakh beedi workers are there. Majority of them are women. They can be organised and they can be given proper wages; whatever facilities that the industrial workers are getting by way of wages and other benefits, can be given to them provided they are organised in a proper way. I would like to give an example of my own State, Kerala. We have an industrial cooperative of bidi workers in which there are 50,000 bidi workers. They are getting all the benefits, Provident Fund, maternity leave, etc. and all other benefits which are applicable to industrial workers and permanent employees. All these benefits are being given to them. They are treated as real workers. These benefits are given by the industrial cooperative supported by the State Government. The Central Government also supports it. The Central Government has a scheme to get the industrial cooperatives of bidi workers organised throughout India. But practically nothing has been done. Sir, this is a section of workers who are the poorest of the poor. There are so many bidi workers in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and in other States. The Labour Department should take initiative to see that cooperatives are organised. There is already a mechanism, a scheme with the Government. But the Government is not taking any initiative.

Therefore, the Government should take steps to organise these workers into industrial cooperatives. There are some law breakers who do not pay wages and who do not keep a register. They are running industries in their homes where these things are being done and the contractors taking take full advantage. At some places the workers are paid nothing. Therefore this law should be implemented through out the country and the Government of India should see to it that the industrial cooperatives are organised.

An amendment Bill brought by the previous Government in regard to a change in the Customs Duty. A reduction which has been made of length, i.e. small cigarette. Therefore, what happened is, cigarette is competing with bidi. The Bidi Manufacturing Industrial Cooperative Society, making branded bidis, has to pay custom duty and they are paying it. Therefore, I have requested the Finance Minister to go into this question. Unless we have some coordinate activities, the downtrodden section cannot be protected. That is all I want to say.

The Minister of Labour should see to it that the poorest of the poor workers are helped to be organised and they get proper wages and proper protection. The Minister should do it through this Bill. As I said earlier, the revision from Re. 1/- to Rs. 2/- should be done in consultation with the bidi workers and the Welfare Board. This is my request to the hon. Minister. Thank you.

श्री सनातन बिसि (उड़ीसा): महोदय, मैं एक-दो बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। महोदय, सरकार की जो वार्षिक रिपोर्ट आई है 1997-98 की, उसी पर मैं बोलूंगा। इस रिपोर्ट के पेज संख्या 67 पर कहा गया है कि बीड़ी वर्कर्स की कुल संख्या 43,99,694 है और इनमें से 34,95,557 लोगों को आईडेंटिटी कार्ड इशू हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सारे बीड़ी वर्कर्स का आईडेंटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आगे सरकार का क्या प्रोग्राम है? जो 11 या 12 लाख बीड़ी वर्कर्स बच गए हैं

कितने दिनों में उनका आईडेंटिफिकेशन हो जाएगा? उसके बाद एक चीज पर मैं बोलना चाहता हूं। उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट में लिखा गया है वैलफेयर आफ बीड़ी वर्कर्स के बारे में पेज 68 पर:

> "The Regional Labour Ministers' Conference endorsed the recommendations of the Ministry for the constitution of the Tripartite Standardisation Committee and the District Level Vigilance Committee."

जब यह रिपोर्ट किया गया है, इसमें दिया गया है कि कमेटी से विचार किया जाएगा, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी कितनी मीटिंग हुई है और कितनी विजिलेंस कमेटी का गठन किया गया है और उनकी क्या रिपोर्ट है। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट में क्यों नहीं दाखिल करते हैं कि इतनी मीटिंग हुई है और वह सब रिकमंड हो गया है और इसमें वक्तव्य भी आना चाहिए। मैं लास्ट बिन्दु बोलना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि:

> "A Conference of the North Eastern Labour Ministers was held at Shillong on 19.7.1997."

तो उसकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या-क्या तय किया गया, क्योंकि बीड़ी वर्कर्स जो होते हैं गरीब आदमी होते हैं, अनपढ़ आदमी होते हैं, उनका बहुत शोषण किया जाता है। तो मिनिस्ट्री को खुद बोलना चाहिए कि उस मीटिंग के बारे में हम लोगों का क्या-क्या एक्शन हो चुका है और क्या-क्या स्टेप हम ले रहे हैं और मिनिस्ट्री का भी क्लेरिफिकेशन होना चाहिए जिससे हम लोग जान सकें कि कांफ्रेंस होने के बाद यह एक्शन सब लिया गया है और इसी एक्शन के ऊपर यह लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह चीज मैं जानना चाहता हूं specifically from the Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Thank you, Mr. Bisi. You were very kind. You have taken only two minutes.

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, लगभग सारी बातें एक ही सी हैं जो बार-बार कही गई है और शायद वैसा ही मैं भी कहूंगा। यह सही है अन-आर्गनाइज्ड मजदूर हैं, यह भी सही है कि मालिक पहले अपने कारखाने में बनवाता था और अब ब्रांच नाम दे दिया गया है वहां से बीड़ी बनती है और यह भी सही है कि 44 लाख तादाद जो आपने बीड़ी वर्कर्स की दी है यह उन बीड़ी वर्कर्स की है जिनके आपने आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिए है। इससे कहीं ज्यादा बीड़ी वर्कर्स महिलाएं, बच्चे जो बीड़ी बनाते हैं और एक बीड़ी को बनाने का प्रोसस इस तरह का है कि एक मर्द या एक औरत बीड़ी बना ही नहीं सकता। बीड़ी का पत्ता और तम्बाकू लाने से उसे पानी में भिगोने, कपड़ों में बांधने और नसें साफ करने, पत्ते से काटने और उनको फिर सुखाना, तम्बाकू रखना, बीड़ी बनाने, धागे में लपेटना, पैकेट मिलाना, बंडल बनाना और फिर मालिक के पास ले जाने तक इतना लम्बा प्रोसस है कि इसे एक औरत या मर्द नहीं कर सकते, इसके लिए घर का पूरा परिवार बच्चे से लेकर बड़े तक इंवोल्व होता है। यह समाज के बहुत दुखी लोग हैं, यह समाज के बहुत कमजोर लोग हैं। इनके पास रहने का मकान नहीं है। दस बाई दस के एक कमरे में 20-20 बीड़ी के मजदूर बैठकर काम करते हैं, वेंटिलेशन का भी कोई इंतजाम नहीं होता। यह सारी ऐसी प्रोब्लम्स है जिस पर बिल नहीं आया। इस बिल का उन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है जिन पर सदन में बातें हुई। न इनके मिनिमम वेजेज से मुताल्लिक है, न उनके रहन-सहन से मुताल्लिक है और न इससे है कि पूरे देश में बीड़ी मजदूर के वेजेज में कोई समानता नहीं है। बड़ी ना-इंसाफी है। बिहार के बीड़ी मजदूरों का कुछ वेजेज है, उत्तर प्रदेश में कुछ है, महाराष्ट्र में कुछ है, मध्य प्रदेश में कुछ है। आप हैरत करेंगे मान्यवर, कि हालत यह है कि आज भी 15 और 16 रुपए प्रति हजार बीड़ी की मजदूरी दी जाती है और इसे कोई देखने वाला नहीं है—न राज्य सरकार और न केन्द्र सरकार। कई बार यह मशवरा दिया गया कि कानून यह है कि अगर कोई मालिक बीड़ी वेजेज कम देते है तो सिर्फ चालान होगा और चालान में ज्यादा से ज्यादा ढाई सौ रूपए का जुर्माना बीड़ी मालिक के खिलाफ होगा। होना यह चाहिए कि गैर जमानती दफा का इस पर मुकदमा कायम हो, मालिक को जेल जाना चाहिए। इतना बड़ा अपराध है कि ऐसे मजदूरों के साथ जो समाज के सबसे कमजोर लोग हैं उनके साथ इस तरह की... **(समय की घंटी)**... मान्यवर, एक खास चीज है जो अभी तक नहीं आई है... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री जॉन एफ॰ फर्नांडिस): दो ही मिनट है आपकी पार्टी के।

श्री मोहम्मद आज़म खान: मैं इसी पर खत्म कर रहा हूं। मैं जो खास चीज कहना चाहता हूं वह यह है कि कितनी भी बात हमने की है उससे इस बिल का कोई

मतलब नहीं है, इससे है कि जितना पैसा मालिक से प्रति हजार बनी हुई बीड़ी पर मजदूर की भलाई के लिए दिया जा रहा था अब सरकार उससे ज्यादा पैसा मजदूर की भलाई के लिए देगी। हम सब समाज में काम करने वाले लोग हैं, हम सबको मालूम है कि बीड़ी मज़दूरों की भलाई का कितना काम होता है? हम सच्चाइयों से अपनी आंखों को चुरा नहीं सकते। हममें से कोई नहीं कह सकता, अपने आप से यह झूठ नहीं बोला जा सकता कि बीड़ी मजूदरों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। अपने आप से यह झूठ नहीं बोला जा सकता कि बीड़ी मजूदरों के लिए कहां कोई मकान नहीं है। इस सच्चाई से झूठ नहीं बोला जा सकता कि बीड़ी मज़दूरों के बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, यह क्यों नहीं है? मैं इस बुराई की तरफ आपकी निगाह ले जाना चाहता हूं। अगर उस बुराई को आप खत्म कर दें, उस कमी को आप पूरा कर दें तो आपके पास इतना पैसा होगा कि बीड़ी मजूदर का कोई बच्चा बगैर पढ़े नहीं रह सकता। बीड़ी मज़दूरों का कोई ऐसा काम करने वाला नहीं होगा जिसके पास रहने को मकान नहीं होगा, कोई बीड़ी मज़दूर ऐसा नहीं होगा जिसको टी०बी० और कैंसर की बीमारी होगी और वह कब होगी? एक सच्चाई है और इसे हम सबको मानना चाहिए। सिर्फ 5 प्रतिशत बनी हुई बीड़ी की मज़दूरी की एक्साईज़ ड्यूटी बीड़ी मालिक अदा करता है। उस 5 प्रतिशत अदा की हुई एक्साईज़ पर यह सेस का पैसा मिलेगा और 95 प्रतिशत के साथ धोखा होगा। अगर एक्साईज़ की चोरी रोकी जाए तभी बीड़ी मज़दूरों की भलाई हो सकती है। यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। 95 प्रतिशत बनी हुई बीड़ी की चोरी होती है, एक्साईज़ की चोरी होती है, देश के साथ गद्दारी होती है, समाज के साथ गद्दारी होती है। सिर्फ 5 प्रतिशत बनी हुई बीड़ी पर एक्साईज़ ड्यूटी दी जाती है। उस 5 प्रतिशत बनी हुई बीड़ी से 21 करोड़ रुपया हमें मिलता है वरना ढाई सौ करोड़ रुपया हमें बीड़ी के मज़दूरों के लिए इन्हीं मालिकान से मिलेगा जो एक्साईज़ के अधिकारी खा लेते है। मेरा यह कहना है कि यकीनन यह बिल अच्छा हो सकता है लेकिन इस बिल से हमारी जनता का, बीड़ी मज़दूरों का संबंध कम है, अधिकारियों का ज्यादा है। जो अधिकारी इस पैसे को खाते हैं, अब वे दुगुना पैसा खाएंगे, तिगुना और चौगुना पैसा खाएंगे क्योंकि इसका बंटवारा नहीं होता है। क्योंकि मैं इस स्टैंडिंग कमेटी का पैम्बर हूं, मैंने कहा था कि जब तक एक्साईज़ की चोरी नहीं रोकी जाती उस वक्त तक किसी किस्म का बिल लाना बीड़ी मज़दूरों के साथ धोखा होगा, उनके साथ भलाई नहीं होगी। 95 प्रतिशत एक्साईज़ की चोरी जब तक नहीं रुकती, उस वक्त तक बीड़ी मज़दूर का कोई भला होने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी अगर हम अपनी तसल्ली के लिए, अपने आप को धोखा देने के लिए मज़दूरों के लिए एक पैगाम देने के लिए इस बिल को लाते हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया।

†[ ]Transilteration in Arabic Script

یہ ہے کہ اگر کوئی مالک بیڑی وغیرہ کم دیتے ہیں تو ان کا چالان ہو گا اور چالان میں زیادہ سے زیادہ دو ہزار سو روپے کا جرمانہ بیڑی مالک کے خلاف ہو گا - ہونا یہ چاہیے کہ ہر خلاف ورزی کا اس پر مقدمہ قائم ہو، مالک کو جیل جانا چاہیے - اتنا بڑا اپرادھ ہے کہ ایسے مزدوروں کے ساتھ جو سماج کے سب سے کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی ... "وقت کی گھنٹی" ... مانیو ایک خاص چیز ہے جو ابھی تک نہیں آئی ... "مداخلت" ...

آپ سبھا دھیکش مشرا جان ایف فرنانڈیز": دو ہی منٹ ہیں آپ کی پارٹی کے -

شری محمد اعظم خاں: میں اسی پر ختم کر رہا ہوں - میں جو خاص چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتنی بھی بات ہم نے کی ہے اس سے اس بل کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے ہے کہ جتنا پیسہ مالک سے پرتی ہزار بنی ہوئی بیڑی پر مزدوری کی بھلائی کے لئے دیا جا رہا تھا، اب سرکار اس زیادہ مزدوری کی بھلائی کے لئے دیتی ہے - ہم سب سماج میں کام کرنے رکھنا، بیڑی بنانے، دھاگے سے لپیٹنا، پیکیٹ ملانا، بنڈل بنانا اور پھر مالک کے پاس لے جانے تک اتنا کھپا پڑا ہے ہے کہ اسے ایک عورت یا مرد نہیں کر سکتے، اسکے لئے گھر کا پورا پریوار بچے سے لے کر بڑے تک انوالو ہوتا ہے - یہ سماج کے بہت دبے کچلے لوگ ہیں، یہ سماج کے بہت کمزور لوگ ہیں - ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے - دس بائی دس کے ایک کمرے میں ۲۰-۲۰ بیڑی کے مزدور بیٹھ کر کام کرتے ہیں، کوئی ویلفیئر کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا - یہ ساری ایسی پرابلمس ہیں جس پر بل نہیں آیا - اس بل کا ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے جن پر سدن میں باتیں ہو رہی ہیں - نہ اسکے میٹیم و بجیکٹ سے متعلق ہے، نہ ان کے رہن سہن سے متعلق ہے اور نہ اس سے ہے کہ پورے دیش میں بیڑی مزدور کے سوال ہیں، اتر پردیش میں کچھ ہے، مدھیہ پردیش میں کچھ ہے - آپ حیرت کریں گے مانیو کہ حالت یہ ہے کہ آج بھی ۵ روپے فی ہزار بیڑی کی مزدوری دی جاتی ہے اور اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ تو لیبر سرکار اور نہ لیبر سرکار - کئی بار یہ مشورہ دیا گیا کہ قانون

ہے۔ اس پانچ فیصد ادا کی ہوئی ایکسائز پر یہ سیس کا پیسہ لیگا اور 95 فیصد کے اوپر جو بچا ہوا پیسہ اگر ایکسائز کی چوری ہوتی ہے تب بھی بیڑی مزدوروں کی بھلائی ہوتی ہے، یہ ایک ایسی کڑوی سچائی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 95 فیصد بنی ہوئی بیڑی کی چوری ہوتی ہے، ایکسائز کی چوری ہوتی ہے، دیش کے ساتھ غداری ہوتی ہے، سماج کے ساتھ غداری ہوتی ہے صرف پانچ فیصد بنی ہوئی بیڑی پر ایکسائز ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ اس پانچ فیصد بنی ہوئی بیڑی سے 21 کروڑ روپیہ نہیں ملتا ہے ورنہ ڈھائی سو کروڑ روپیہ ان بیڑی کے مزدوروں کے لئے انہیں مالک سے ملے گا جو ایکسائز کے ادھیکار کا لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسے کہ یقیناً یہ بل اچھا ہے، کہا ہے لیکن اس بل سے ہمارے جنتا کو، بیڑی مزدوروں کا سمبندھ ہے، ادھیکاریوں کا زیادہ ہے۔ جو ادھیکاری اس پیسے کو کھاتے ہیں، اب وہ دوگنا پیسہ کھائیں گے، تین گنا پیسہ کھائیں گے، چوگنا پیسہ کھائیں گے، کیوں کہ اسکا

وہ اے لوگ ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ بیڑی مزدوروں کی بھلائی کا کتنا کام ہوتا ہے، ہم سچائی سے اپنی آنکھیں چرا نہیں سکتے۔ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ سے یہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا کہ بیڑی مزدوروں کے لئے کوئی اسپتال نہیں ہے اپنے آپ سے یہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا کہ بیڑی مزدوروں کے لئے کوئی مکان نہیں ہے۔ اس سچائی سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے کہ بیڑی مزدوروں کے بچوں کے لئے پڑھنے کی کوئی ویوستھا نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ میں اس برائی کی طرف آپکی نگاہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر اس برائی کو آپ ختم کر دیں، اس کمی کو آپ پورا کر دیں تو آپکے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ بیڑی مزدور کا کوئی بچہ بغیر پڑھے نہیں رہ سکتا، بیڑی مزدوروں کا کوئی ایسا کام کرنے والا نہیں ہوگا جس کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہوگا، کوئی بیڑی مزدور ایسا نہیں ہوگا جسکو ٹی۔ بی۔ کینسر کی بیماری ہوگی۔ اور وہ لیڈ ہوگی، ایک سچائی ہے اسے ہم سبکو مانھنا چاہیے، صرف پانچ فیصد بنی ہوئی بیڑی کی مزدوروں کی ایکسائز ڈیوٹی بیڑی مالک ادا کرتا

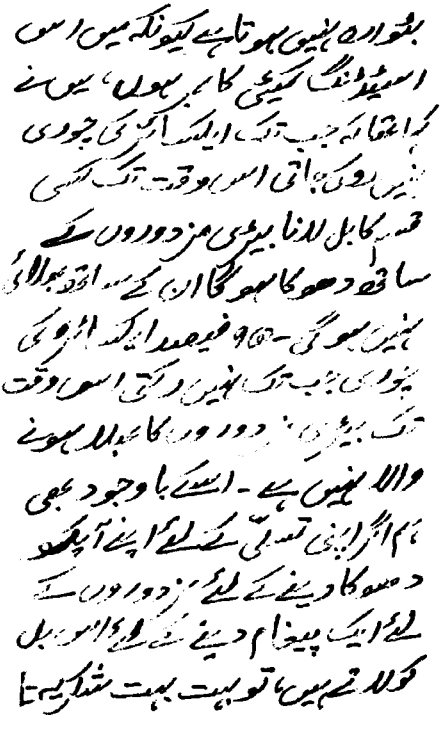

उपसभाध्यक्ष (श्री जॉन एफ० फर्नांडिस): श्री नरेश यादव। आपके लिए सिर्फ दो मिनट हैं।

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, क्योंकि बीड़ी बनाने वाले मज़दूरों के बीच मैंने काफी काम किया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि दो मिनट के बजाय कृपया पांच मिनट बोलने का मुझे मौका दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष श्री जॉन एफ० फर्नांडिस: अभी एक और बिल है।

श्री नरेश यादव: जी। महोदय, समाज के सबसे गरीब तबके के लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं। समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, अल्पसंख्यक है, जनजाति के लोग हैं, वे बीड़ी बनाने का काम अधिकांशतः करते हैं और इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। बीड़ी मज़दूरी हज़ार पर दी जाती है और महोदय, मैं बिहार से आता हूं। बिहार में सात से आठ लाख बीड़ी मज़दूर हैं। उनकी मज़दूरी कहीं 12 रुपए, कहीं 16 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, एक तरह की नहीं है और मज़दूरी भी एक बीड़ी बनाने वाले को हज़ार पर दी जाती है जबकि बीड़ी बनाने में जैसा कि आज़म साहब ने बताया, बीड़ी बनाने में फैक्टरी मालिक से पत्ता लेकर बीड़ी मज़दूर घर ले जाता है। पत्ता ले जाने के बाद पत्ता काटने का काम करता है और काट करके तब उसमें सूखा भरा जाता है। फिर सूखा भरने के बाद उसे सूता से लपेटा जाता है, तब मालिक के यहां पहुंचाया जाता है। अर्थात् विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों की अलग-अलग मज़दूरी है। सूता बांधने की अलग है, लपेटने की अलग है, फिर उसके सेकने की अलग है लेकिन बीड़ी मज़दूर की इकट्ठा पेमेंट होती है। पांच-पांच काम करने के बाद पेमेंट उसकी एक होती है और इसके साथ अन्याय, बेईसाफी यह होती है कि इन मालिकों पर कोई फैक्टरी लॉ लागू नहीं होती है क्योंकि काम तो करते हैं चालीस, पचास सौ-सौ मज़दूर लेकिन वे काम करते हैं गांव में और गांव में घर में पांच मज़दूर काम करते हैं, मालिक एक है लेकिन घर अनेक है और उस घर में पांच, उस घर में पांच, इस तरह बांट दिए और बांट कर इकट्ठा जमा किया, उस पर कोई फैक्टरी लॉ लागू नहीं होती है, किसी तरह का कोई टैक्स देने को वह तैयार नहीं है और फिर मुलम्मा यह कि तुम बीड़ी को सेंको। बीड़ी को बनाने का काम अर्थात् बीड़ी का लास्ट प्रोसेस है कि बीड़ी को सुगंधित बनाने के लिए और खुशबुदार बनाने के लिए उसको आग पर सेंका जाता है।

[6.00 P.M.]

और उसी मज़दूर से बीड़ी को सिकवाया भी जाता है जिसकी कोई मज़दूरी उसे नहीं दी जाती है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अकर्षित करना चाहूंगा कि सबसे उपेक्षित, सबसे पीड़ित समाज इस देश में यह बीड़ी मजदूर है जिसकी संख्या कम से कम मैं समझता हूं कि 70 लाख से ज्यादा है। जहां तक आई० कार्ड का सवाल है, आई० कार्ड पूरे देश में नहीं बने हैं। इसलिए सख्ती से आई० कार्ड बनाए जाने चाहिए। साथ-साथ एक और बात में इसमें जोड़ना चाहूंगा। मंत्री जी, आपकी सरकार ने यह घोषणा की है हम 20 लाख बेघरों को घर बनाकर देंगे। मैं यह चाहता हूं फेज़ वाइज़ रूप से, क्योंकि सबसे बड़ा गरीब और सबसे बड़ा उपेक्षित यही बीड़ी मजदूर है और यह बीड़ी मजदूर बीड़ी बनाते-बनाते अपनी उम्र के आखिर में कैंसर या टी०बी० का शिकार हो जाता है और किसी काम को करने के लायक नहीं रहता है। वह अपने बाल-बच्चों के साथ बीड़ी बनाता है और बीड़ी बनाते-बनाते उसकी मौत

हो जाती है। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो आपने इंदिरा आवास योजना, घर बनाने की योजना बनाई है, उसमें इन बीड़ी मजदूरों को प्राथमिकता दी जाए, साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चलता-फिरता अस्पताल भी होना चाहिए। आज अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए बीड़ी मजदूरों के लिए मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए यह बीड़ी बजदूर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। इसके अतिरिक्त इनको मजदूरी सही रूप से मिल सके, इसकी पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। जो फैक्टरी मालिक आज चुरा रहा है, बीड़ी बजदूरों का शोषण कर रहा है, इसे सख्ती के साथ कानून लाकर, विधेयक लाकर रोकना पड़ेगा जिससे बीड़ी मजदूर पूरे देश में लाभान्वित हो सकें। महोदय, बीड़ी मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया जा रहा है जब कि बीड़ी के मालिक लाभ कमा रहा है किन्तु उसका हिस्सा मजदूरों को नहीं मिल रहा है। उन्हें किसी प्रकार का प्रॉवीडेंट फंड नहीं दिया जाता है। ग्रेटयूइटि नहीं दी जाती है, किसी तरह की कोई सुविधा बीड़ी मजदूरों को नहं दी जा रही है। इन बीड़ी मजदूरों के साथ पूरे देश में अन्याय हो रहा है। हम चाहेंगे कि सख्ती से बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आज़म खान: सर, मैं एक मामूली सा सुझाव इसमें देना चाहूंगा क्योंकि एक छोटे से बिन्दु पर ही यह बिल है—सैस पर। इस पैसे से बीड़ी मजदूरों के लिए स्कूल, उनकी दवा, उनके बच्चों के लिए कपड़े—कुछ ऐसा प्रोवीज़न सोचा गया है। मेरा सुझाव है कि अगर आप चाहते हैं कि इस पैसे का कुछ सही इस्तेमाल हो जाए तो, तमाम ऐसे जिले जहां बीड़ी के मजदूर हैं, वहां यह पैसा खर्च किया जाएगा — इन जिलों में सांसद और विधायकों को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया जाए और जिलाधिकारी को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए और इन्हीं की देख-रेख में यह पैसा खर्च हो, अगर ऐसा होता है तब हम समझते हैं कि यह पैसा खर्च हो पाएगा अन्यथा यह बड़ी नाइंसाफ़ी होगी.

†ڈاکٹر محمد اعظم خاں: سر، میں ایک معمولی سا سجھاؤ اس میں دینا چاہوں گا کیونکہ ایک چھوٹے سے بند و بست کا یہ بل ہے، سیس پر۔ اس پیسے سے بیڑی مزدوروں کے لئے اسکول، ان کی دوا، ان کے بچوں کے لئے کپڑے۔ کچھ ایسا پروویژن سوچا گیا ہے۔ میرا سجھاؤ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پیسے کا کچھ صحیح استعمال ہو جائے تو، تمام ایسے ضلع جہاں بیڑی مزدور ہیں، وہاں یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ ان ضلعوں میں سنسد اور ودھایکوں کو بھی اس کمیٹی کا ممبر بنایا جائے اور ضلع ادھیکاری کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے اور انھیں کی دیکھ ریکھ میں یہ پیسہ خرچ ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ خرچ ہو پائیگا، انیتھا یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ ....]

श्री सनातन बिसि: सर, बिजिनेस कमेटी का जो गठन होना है क्या उसके अंदर एमप्पीज़ को रखा जाएगा?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): You have made your point, please. You have already spoken. Do not intervene, please. You have time to intervene when the Minister replies!

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMAI: I have to catch my Chennai flight at 7.45 p.m. Kindly allow me to speak.

THE VICE-CHAIRMAN: You have only two minutes if the other Member, Mr. Zahidi does not object.

†[ ]Transilteration in Arabic Script

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill, further to amend the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976. But, the problem the beedi workers are confronted with, most of my colleagues have already explained. I do not want to repeat it again and again. Straightaway I am coming to the problem. First is that it is an unorganised sector. For this there are some facilities provided by the Government also. But, practically, difficulties are there in the rules and regulations. If you go through laws and Acts, they can find some facilities. With regard to education, scholarship is provided but, at the same time, there is a stipulation. A student has to obtain 45% marks. For half-a-day they are working in the beedi factories-in some houses, like cottage-industry, which are called factories-along with parents. It is very difficult for them to obtain those marks. That is why the Government has to go through the problem. In several States, there is already free education for them. Some other facilities relating to education should be provided by the Central Government. That is point number one. Regarding housing loan, you were saying something.

They are giving only a paltry sum of Rs.9,000 or Rs. 13,000 which is not enough to construct a house. Even for constructing a small house consisting of one room with a kitchen, the cost will come to Rs.50,000. So, I feel that the Government should give Rs.50,000 for this purpose and out of which at least 50% should be on subsidy basis. Even a house constructed under the Indira Awas Yojana costs about Rs.30,000 or Rs.35,000. That is why my suggestion is that at least Rs.50,000 should be provided for this purpose.

With regard to identity cards, I would like to say that there is a difference between the people who are registered and those who are having cards. My suggestion is that instead of the Welfare Commissioner looking after this, we can leave it to the Labour Departments of the State Governments. If it is left with the State Government, it will be helpful to the workers. This is my third suggestion.

Sir, my third suggestion is with regard to tendu leaves and sale of beedis. When they are buying it from other sources, they are paying high prices. The contract business is also there. In order to avoid contractors, we should give some subsidy to these cooperative societies. The supply and manufacture should be vested with the cooperative societies. They must get tendu leaves at subsidised rate. It will help the workers as well as those people who incur losses in this business.

With regard to welfare fund, I would like to say that it should be raised to Rs.100 crores because it is earning foreign exchange also. I think the Government should make further investment in this fund so that it can be raised to Rs.100 crores. For example, in Tamil Nadu we have constructed 1930 houses for these people. We have given them these houses. We are continuing this construction of houses. Recently we have issued a G.O. and more than 50 unorganised industries have been put under a Welfare Board. If a worker contributes Rs. 25 every year, he gets all the benefits. Most of the workers are getting this benefit. We have to further develop and strengthen this scheme. Sir, I have made some suggestions and whatever is possible may be implemented by the Government. If it is not possible now, they must consider the suggestions wich I have made. With these words, I con clude.

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का जो पेश किया गया है अमेंडमेंट तरमीम बिल जो बीड़ी मजदूरों का है और उस से मुताल्लिक जो बात कही गई उससे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। साथी सदस्यों ने इस बिल के मुताल्लिक अपनी कुछ बातें कही हैं उनमें से दो-चार बहुत अच्छी बातें हैं, उनसे मैं अपने आपको संबद्ध करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। बिल्कुल नपा-तुला सा

डिपार्टमेंट ने यह बिल पेश किया है। पहले 21 करोड़ रुपया वसूल होता था, सरकारी कागजों में 44 लाख मजदूर बताये गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब ऐसा कुछ किया जाए कि 50 पैसे से एक रुपया कर दिया जाए और हर लाख पर एक करोड़ रुपया मिल जाए तो इस हिसाब से 44 करोड़ रुपये मिल जायेंगे। बिल्कुल सीधे-सीधे स्केल पर रखकर कुछ चीजें बनाई गई हैं। उसके खाते की स्टेटमेंट बनाते समय जो अब तक का ब्यौरा था वह पेश करते हुए मंत्री महोदय ने बताया होता कि फलां-फलां सूबे में इतना काम हुआ है, फलां में इतना हुआ है परन्तु उन्होंने कोई ऐसी चीज पेश नहीं की है। अलबत्ता यह पेश किया है कि इतना पैसा बकाया है। ये कह रहे हैं कि 55 करोड़ रुपया बेलेंस पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि काम नहीं हुआ। जो लोग भी इसकी देख रेख कर रहे हैं वह इसको सही तौर पर नहीं ले रहे हैं। हमारे पास ऐसी रिपोर्टें हैं इलाहाबाद से, गुरसहायगंज से, रामपुर से जहां के हमारे माननीय सदस्य आज़म खान साहब हैं, यह खुद लेबर मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने अपने जमाने में कहा था कि इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पात्र व्यक्तियों जिन्हें यह मिलना चाहिए, कार्ड के जरिए से पहुंचना चाहिए था वह उनको नहीं मिलता है। बीड़ी का काम एक छत के नीचे होता है। यह घरेलू काम सा बन गया है। यह बहुत जगहों पर घरेलू काम है जिसमें मां, बेटा, भाई, बच्चे सब मिलकर के काम करते हैं और एक घर का पूरा हिसाब किताब बनता है, मेरा दावा है कि जो मिनीमम वेजिज ऐक्ट के जरिए से इन लोगों को दिया जाता है वह पूरा का पूरा इनको पर थाउजेंट मिलता है, इसमें मुझे हंड्रेड परसेंट शुबहा है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मुताबिक जितना उनको मिलना चाहिए, पर थाउजेंट, वह उनको नहीं मिल रहा है। यह बहुत बड़ी बिडम्बना है। लेबर लॉ का इम्पलीमेंटेशन स्टेट हेड क्वार्टर से होता है। एक स्टेट रीजनल लेबर कमिश्नर होता है, उसके जरिए से सब कुछ होता है, इंसपेक्टर साहेबान जाते हैं। मुझे कहना यह है कि आपने इसमें हास्पिटल बनाना है, एजूकेशन का इंतजाम करना है, इसमें हाउसिंग का भी आपने इंतजाम किया है। मैं समझता हूं कि एक कमरे में रहने वाले जो लोग हैं, जो भी शख्स हैं, जो यहां काम करते हैं, मां करती है, शौहर करता है, बेटी करती है, भाई करता है, उनको अगर वन हाउस देने की बात है तो उसमें उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं है। आप भले ही मकान बनवा दीजिए इसके लिए हम मना नहीं करते। आप 20 लाख मकान बनाकर देना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन इस संबंध में एक सजेशन जयपुर के माननीय सदस्य का आया है कि बीड़ी सनतकार, बड़ा मालिक जिसकी लाखों बीड़ी प्रतिदिन बनती है, अपनी बीड़ी के सारे काम को बांटकर छोटे ठेकेदारों को दे देता है। पूरे पूरे गांवों में बीड़ी बन रही है लेकिन अगर इतनी अनहाइजीनिक एरिए में काम होगा तो वहां पर बीमार होना लाजिमी है। इसके लिए जो सुझाव आया वह अच्छा आया है। उस सुझाव का मैं सपोर्ट करता हूं। सुझाव यह है कि बजाए आप मकान बनायें, जहां पर कन्सन्ट्रेशन आफ वरकर्स ज्यादा है, जैसे रामपुर में है, मिर्जापुर में है, इलाहाबाद में है — मैं यू०पी० की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में बहुत है, महाराष्ट्र में जहां जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर बड़े बड़े हाल, साफ सुथरी यूनिट्स बनाकर लोगों को दी जाए। इससे वे काम करने के लिए घरों में न बैठकर अच्छे वातावरण में रहकर बीड़ी बना सकते हैं।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हमारे यहां बीड़ी मजदूरों का सर्वे स्टेट की तरफ से नहीं हुआ है। यह सच बात है कि जिस रोज यह सर्वे हो जाएगा उस रोज पता चल जाएगा कि बीड़ी मजदूरों की हालत क्या है। कितना पैसा उनको मिलता है, क्या सेस का फायदा उनको मिल रहा है, एक्जाइज ड्यूटी आधी जमा हो रही है या नहीं हो पा रही है। अगर आधी होती है तो हालत बेहतर हो सकते हैं। इन सब बातों को उससे पता चल जाता, इसकी मार्केटिंग के बारे में भी पता चल जाता, उनकी मार्केटिंग, हालांकि बीड़ी पीना कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन एक सनत है, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है लेकिन एक सनत है, पान-पराग खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक सनत है और कुछ लोगों की रोजी-रोजी इससे चलती है। यह बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हम कुछ ऐसे नहीं कि उनकी रोज-रोटी रुक जाए। यह भी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ, वाइस चेयरमैन साहब, मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जॉन एफ० फर्नांडिस): आपने कह दिया।

श्री खान गुफरान जाहिदी: मैं यह कहना चाहता हूं कि सिगरेटें कई ब्राण्डों की आ रही हैं, धूमधाम से बाहर के मुल्कों से और हमने देखा है बाज मुल्कों में हमारे मुल्क की बीड़ियां स्मगल होकर जा रही हैं। मैंने देखा है जब कभी जाता हूं कि वह बीड़ी यहां से ले जाते हैं, पैकेट बनाकर छिपा कर ले जाते हैं, जो शौकीन हैं, पीने वाले हैं। तो क्या जिस तरह से मुरादाबाद के बर्तनों के लिए एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है, किसी और सनत के लिए, तालों के लिए एक्सपोर्ट है, हैंडलूम

एक्सपोर्ट परमोशन बोर्ड बना हुआ है क्या बीड़ियों को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई परमोशन कौंसिल बनायेंगे? अगर कोई ऐसी कौंसिल बनती है और हम बीड़ी को यहां से एक्सपोर्ट करें और बाहर के लोग जो अफ्रीका में हैं, नए नए आजाद हुए जो देश हैं, वहां भेजी जाय, फाइन पैकेट्स में उनको भेज कर देखें। लेकिन इसका एक्सपोर्ट बिल्कुल डेवलप नहीं किया जा रहा है। अगर आप डेवलप करें तो इससे फायदा पहुंचेगा। इससे पहले भी ब्रांचदार जिस तरह से उनको लूट रहे हैं, इसको भी देखा जाए। इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको किस तरह से चेक किया जाए इसको देखने की जरूरत है। उनके लिए बड़े बड़े हाल जरूर बनाइए, साफ सुथरी जगह उनको दीजिए ताकि ये वहां काम कर सकें। एजूकेशन और तालीम फैलाने की इनमें बहुत जरूरत है। एक तो मेरा यह कहना है। दूसरा मैं अक्सर देखता हूं जब इन बस्तियों में जाता हूं कि जो बच्चे यहां काम करते हैं, उनकी शादियां देर से होती हैं तो क्या इस सेस के जरिए श्रम मंत्री महोदय, अगर वे वहां रहे, उनका आई० कार्ड बना हुआ है, आमदनी की एक यूनिट बनी हुई है और समझदार हैं तो क्या उन बच्चों की शादियों के लिए लोन दिया जा सकता है? उनको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, इस पर भी विचार कर लीजिये। मैं इन सुझावों के साथ आपके इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जो मिनिमम बेजेज़ ऐक्ट के मुताबिक उनको पैसा चाहिये, उसको सुनिश्चित करने के लिए आप जितनी कार्यवाही कर सकते हों अपने लेवल से करें। धन्यवाद।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए निधि इकट्ठी हो, इसलिए बीड़ी उत्पाद पर कर लगे, मंत्री महोदय यह विधेयक लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं एक सवाल पूछूंगा। हमारे देश में विडम्बना क्या है? मैं अभी रुड़की गया था। एक मकान के दो दरवाजों पर दो नेम प्लेट लगी हुई हैं। एक पर जिला मद्य अधिकारी लिखा हुआ है और दूसरे पर जिला मद्य निषेध अधिकारी लिखा हुआ है। एक तरफ यह कहा जाता है शराब पीओ और दूसरी तरफ स्टेट्युटरी वार्निंग है बीड़ी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह विडम्बना इस देश में कब तक चलेगी? एक बीड़ी बेचने वाला बीड़ी बेच रहा था और यह कह रहा था कि मेरी बीड़ी पीने वाले को तीन फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि मेरी बीड़ी पीने वाले को कुत्ता नहीं काटेगा, दूसरा फायदा यह है कि घर में चोरी नहीं होगी और तीसरा फायदा यह है कि मेरी बीड़ी पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा। मेरे जैसा एक व्यक्ति भिड़ गया और पूछने लगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। यह कहा गया कि बीड़ी पीने वालों को टी०बी० कैंसर होता है और मर जाते हैं। उसने कहा कि यह इतना तेज तम्बाकू है कि जो इसे पीयेगा निश्चित रूप से उसको टी०बी० हो जाएगी और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि बगैर लाठी के सहारे चल नहीं सकेगा। जब लाठी उसके हाथ में होगी तो उसको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। फिर दूसरा यह कि चोरी कैसे नहीं होगी? उसके फेफड़े इतने खराब हो जाएंगे कि रात भर खांसता रहेगा और चोर यह समझेगा कि जगा हुआ है, इसलिए वह उसके अन्दर नहीं घुसेगा और चोरी नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि वह बूढ़ा नहीं होगा। उसने कहा कि यह मैं नहीं बताऊंगा। तुम कोई मूर्ख तो नहीं हो, अपने आप समझ लो। जब पूछने वाला व्यक्ति पीछे पड़ गया तो उसने कहा कि जब आपको टी०बी० और कैंसर हो जाएगा तो वह जवानी में ही मर जाएगा, बूढ़ा होने का नम्बर ही कहां आएगा? तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब निश्चित रूप से जीवनघातक है। मंत्री महोदय, सारा सदन, सारे जन-प्रतिनिधि, सारे राजनैतिक दल और जो इस देश के पढ़े लिखे लोग हैं, क्या बीड़ी सिगरेट का कोई विकल्प हो सकता है, क्या इसको बन्द किया जा सकता है और जो यह काम करने वाला कामगार है क्या उनको कोई और काम दिया जा सकता है? मंत्री महोदय, आप और आपकी सरकार, इस देश के नेता क्या इस पर विचार करेंगे?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): You have not spoken on the Bill.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I Have spoken on the Bill.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): उपासभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरे कुछ सुझाव हैं। एक यह है कि हमारे एक माननीय सांसद ने कहा कि 64 लाख बीड़ी मजदूर हैं और मंत्री जी ने कहा कि 44 लाख है। असलियत यह है कि 64 लाख से भी ज्यादा बीड़ी मजदूर हैं। इसलिए हम मांग करेंगे कि बीड़ी मजदूरों की संख्या की सही सही जानकारी के लिए सर्वेक्षण कराया जाए। बहुत से राज्यों में, दो तीन को छोड़ कर, पंचायतें हो गई हैं और यह काम पंचायतों के सहयोग से या पंचायतों के ज़रिये से कराया जाए ताकि आपकी जो वेलफेयर स्कीम है उसके दायरे में यह आ जाएं और हमारे देश में इन मजदूरों की वास्तविक संख्या सीधे सीधे आ जाए। यह मेरा पहला सुझाव है। आपने कहा कि अधिसूचना तो एक रुपये की जारी की जाएगी।

जब अधिकतम सीमा 5 रुपये तय की जा रही है सेस की और आपने न्यूनतम पांच पैसे से बढ़ा कर 50 पैसे किया, क्यों नहीं आप अधिसूचना जारी कर रहे हैं एक रुपये की तो एक रुपये की ही न्यूनतम सीमा मान लेते, एक रुपये से 5 रुपये मान लेते, हम समझते हैं कि यह ज्यादा व्यावहारिक होगा। जब एक रुपया अधिसूचित करने जा रहे हैं तो 50 पैसे की बात सुनना कोई वाजिब नहीं लगता।

तीसरा कहना है कि बीड़ी मजदूरों का शोषण इसलिए भी हो रहा है कि कई जो आपकी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे वे वंचित हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि फैक्ट्री मालिक कई लेबर लॉज को वायोलेट करते हैं। मानते नहीं हैं। बड़ी बाधा आती है। वे मजदूरों की संख्या कम करके बताते है। इसलिए एक बीड़ी मालिक के यहां कितने लोग काम करते हैं इसकी संख्या सही-सही तय करने के लिए कोई मशीनरी स्थापित की जानी चाहिए। आपके जो लेबर आफिसर्स हैं वे मालिक-पक्षीय हैं। वे मजदूर-पक्षीय नहीं हैं। इसलिए भी मजदूरों को बड़ी हानि हो रही है।

इसके बाद जो मेरा सुझाव है वह काफी महत्वपूर्ण है। वह यह है कि आप 42 करोड़े रुपये में क्या कर पाएंगे। आप ही की संख्या हम मान लें कि 44 लाख उनकी संख्या है तो प्रति मजदूर यह सौ रुपए पड़ेगा मेरे हिसाब से। इससे क्या ओगा। इसलिए मेरी मांग होगी कि इसमें 50 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार इस फंड में और डाल दें। एक माननीय सदस्य ने कहा कि कम से कम सौ करोड़ की यह निधि हो तथा जितने रुपए आप सेस के जरिए इस निधि के लिए वसूल करते हैं, जब भी आगे करें तो उतनी ही राशि केन्द्रीय सरकार की इस निधि में अपनी तरफ से दें ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को कवर किया जा सके और जो आप कल्याण करना चाहते हैं वह कर सकें।

हाउसिंग का प्राविजन है। मेरी भी मांग है। एक माननीय सदस्य का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने मांग की कि 25 से 50 हजार रुपया हाउसिंग के लिए रखिए। 25 हजार रुपए सब्सिडी में दीजिए और 25 हजार रुपए लोन में दीजिए।

शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति देनी है उनके सभी बच्चों को इसमें कवर कीजिए—प्रायमरी स्टेज से लेकर मैट्रीकुलेशन की लेविल तक। सभी बच्चों को शामिल करने के लिए जो बेसिस है मार्क्स की, प्राप्तांक की, उसको हटा दीजिए ताकि उनके सभी बच्चे इसमें कवर हो सकें। कि [illegible]

एक चिकित्सा की सुविधा भी देनी चाहिए। लेकिन यह मिलने में खास तौर से बड़ी आसान हो, प्रोसेज आसान किया जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि वे मर गए। बाद में मिले न मिले क्या फर्क पड़ेगा। पता नहीं कितने खास तौर से कैन्सर के रोगी हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए इतनी कठिन प्रक्रिया है कि आप जो सहायता देना चाहते हैं वह उन्हें नहीं मिल पाती है। उन्हें यह जानकारी भी नहीं होती है। इसलिए उस प्रक्रिया को आसान बनाइए। खास तौर से इसमें यह माना गया है कि 90 प्रतिशत बीड़ी मजदूरों की संख्या महिला मजदूरों की है इसलिए इस पर गौर करते हुए उनके वेलफेयर के लिए कोई अलग स्कीम चलायी जाएन। ..(समय की घंटी)

कंट्रेक्टरशिप जो इसके अंतर्गत घुस गयी है हम समझते हैं कि वह काफी बाधा बन गयी है। इसलिए उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इस पर नियंत्रण के लिए आप क्या उपाय करेंगे, हम आपसे ही इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।

हम एक अंतिम मांग करेंगे अपने तरफ से कि पूरे देश के लिए बीड़ी मजदूरों के लिए समान मजदूरी निर्धारित की जाए और केन्द्रीय स्तर पर इसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हो। उससे कम मजदूरी कोई राज्य अपने यहां तय न करे। यह सुनिश्चित हो। उससे ऊपर जो तय करना चाहे करें लेकिन न्यूनतम मजदूरी किसी भी राज्य में अलग-अलग न हो। इसका परिणाम यह होता है कि जिस राज्य में न्यूनतम मजदूरी से दर कम है तो दूसरे राज्य के बीड़ी फैक्ट्री मालिक उस राज्य के मजदूरों से कम मजदूरी पर काम कराकर बीड़ी अपने यहां ले आते हैं। इसलिए हर राज्य में एक समान मजदूरी की दर होनी चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Shri R. Margabandu. Mr. Margabandu, your party has one minute, but you can take two minutes.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): That is sufficient, Sir.

Mr. Vice-Chairman, Sir, beedi is a poor man's recreation. It is said that some forty-four-fifty lakh people are involved in this job. They are in the unorganised labour sector. There is no protection for them. Even though several legislations have been enacted in the past, these legislations have remained

the Government pays some solatium when a person engaged in a hazardous work dies. Similarly, the Government should pay solatium when a beedi worker dies due to disease and other things. This can be worthwhile.

In Kerala they have constituted a co-operative society for all Beedi workers. Such societies can be constituted in all other places.

I am given to understand that the State Advisory Committee which was constituted in 1991, has not been reconstituted. Steps should be taken to constitute Advisory Committees at the Central level and the State levels. Thus, the people's interests can be safeguarded.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Now the last speaker, Miss Saroj Khaparde.

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर से संबंधित बिल, 1998 का समर्थन करने खड़ी हुई हूं।

इस बिल को संसद के सामने लाकर मंत्री महोदय ने एक अच्छा काम किया है और उन के इस अच्छे काम के लिए मैं उन्हें बधाई देना आवश्यक समझती हूं। साथ ही मंत्री महोदय के सामने कुछ तथ्यों को रखना चाहती हूं। महोदय, बीड़ी मजदूरों के मिनिमम वेजेज के संबंध में एक यूनिफार्म वेज पालिसी होना बहुत जरूरी है। सारे देश में बीड़ी मजदूरों का एक समान वेतन होना बहुत आवश्यक है। मैंने महाराष्ट्र में देखा है कि 35 रुपए एक हजार बीड़ी के पीछे मजदूर को दिए जाते हैं और मध्यप्रदेश में करीब-करीब 28 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह उन के शोषण को देखकर लगता है कि वेजेज में यूनिफार्मिटी की बहुत जरूरत है। दूसरी बात, ये बीड़ी कामगार, जैसा कि आप ने भी सुना होगा, विशेष तौर पर महिलाएं और बच्चे, दलित समाज और पिछड़े वर्ग के होते हैं और ये सारे एक बड़े अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर में फैले रहते हैं। ये सारे देश में लाखों की संख्या में होते हैं और कभी-कभी तो देखा जाता है कि खेतों में काम करने के लिए भी मजदूर एवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि वे ज्यादा इसी काम में लगे रहते हैं।

महोदय, काम बहुत मेहनत का काम होता है जिस का अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते लेकिन इन की मजदूरी एक आम कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूर से कई गुना कम होती है और इस कार्य में लगे मजदूरों को होने वाले रोगों का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं। इस काम में लगे लोगों में टी०बी० या कैंसर जैसे रोग भी हम पाते है। विशेषकर महिलाओं के बारे में देखा जाता है कि उन के लिए मैटरनीटी लीव जैसी किसी सुविधा का प्रावधान नहीं होता है। महोदय, यह प्रावधान किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उन को लगता है कि अगर छुट्टी लेंगे तो पैसे कटेंगे, इसलिए वे छुट्टी लेने के लिए भी तैयार नहीं होती हैं। इन मजदूरों के आवास की व्यवस्था भी शायद ही कोई मालिक करता होगा। बाकी और हैल्थ प्राब्लम्स के निदान की बात तो छोड़ दीजिए। जैसे कि अभी आप ने कहा कि कार्पेट एरिया में काम करने वाले काफी बच्चे हैं, उसी तरह हमारे यहां के काफी बच्चे भी बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं क्योंकि उन को मालूम है कि अगर काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। उन के शिक्षित न हो पाने का यह एक बहुत बड़ा कारण है। बीड़ी मालिकों से जो उन्हें रोज पैसे मिलते हैं, वह उन के परिवार की जिंदगी चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस कारण कर्जे का बोझ भी बढ़ता जाता है और ऐसे में अगर किसी परिवार का सदस्य टी०बी० जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाए तो उस के इलाज के लिए बड़ी दिक्कत होती है।

श्रीमन्, महाराष्ट्र में, विशेषकर नागपुर, वर्धा०, भंडारा, गोंदिया, चन्द्रपुर, रामटेक, इन जिलों में बड़े पैमाने पर यह बीड़ी का काम चलता है और इसमें काम करने वाले कामगारों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं रहता।

महोदय, इस उद्योग में पूरे देश में लगभग 60-65 लाख मजदूर काम करते हैं, मुझे इसमें फिर भी लगता है कि इसका सर्वे होना बहुत जरूरी है। यह सारे कामगार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं और इनको देश के सबसे उपेक्षित मजदूर हम कह सकते हैं। अगर कारखानेदारों को देखें तो लगता है कि यह उद्योग कारखानेदारों को अमीर बनाने वाला और मजदूरों को बीमार करने वाला है। इस उद्योग में जो मजदूरों का शोषण होता है, उसको रोकने के लिए कड़े से कड़े प्रावधान कानून में करना बहुत जरूरी है। उनके लिए केवल कल्याणकारी योजनाएं बनाना ही एक काम नहीं रहना चाहिए बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि जो कारखानेदार इन योजनाओं को लागू नहीं करता, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी

only on paper. They were not at all implemented. Several legislations like the Minimum Wages Act, the Workmen's Compensation Act, the Child Labour Restraint Act, etc., govern the workers in this sector.

With the welfare of the beedi workers in mind, the Beedi Workers Welfare Cess Act was passed in 1976. It was first amended in 1981. It is now being amended again. The object with which this amending Bill has been brought forward by the Central Government is welcome. At the same time, certain other things would have to be taken into consideration.

The workers engaged in this sector require housing facilities, medical facilties and educational facilities. So far as educational facilities are concerned, just like in the case of the other downtrodden sections of the society—for example, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes—they should be placed in a separate group and educational facilities should be given to them. They should also be given some reservation. They should not be put on par with the other sections who are in a better position. These people who have been deprived of opportunities should be protected.

Now, in regard to medical facilities, though we have ESI hospitals and other things, the attention given to them is very poor. They have to be given special consideration because these people—men, women and children—are engaged in an occupation which is a health hazard. They are making the beedis mostly in their house. Very often, they are affected by TB, asthma, cancer and many other diseases, but they are not properly attended to. This aspect also has to be taken into consideration.

The person who are engaged in this have no other job. These people, the poor men and women, are engaged in this to earn their livelihood. They do not have any background—social or economic background. They do not have any such thing. *(time-bell ring)* Just a few minutes more, Sir. As it is the only occupation for them, they would have to be taken care of.

Sir, there is exploitation of the workers. The private factory owners give the leaves and other things to the workers. These poor people manufacture the beedis in their house. If, for example, the owner of a factory dislikes a particular worker, he would stop supplying the leaves and other things. Even though the wage is fixed—say, for roling one thousand beedis, so much—the owner would negotiate with the worker. If it is Rs. 10/-, the owner would negotiate with the worker. He would say: 'I will pay you only Rs. 8/-; if you agree, I will supply; otherwise, I would stop the suply'. In such a situation, the poor workers are not in a position to dictate terms to the owner. These people are at the beck and call of the owner. The work is given to them at the will and pleasure of the factory owner. That is why I say that these workers have to be taken care of. There is no job security for them. They are at the mercy of the factory owners. If they like, they would give work. If they do not want to give work, they would not give. Therefore, there is no job security. Job opportunities have to be given to them.

I would like to say one thing in regard to wages. So far as the Government servants are concerned, we have several Pay Commissions to go into their pay scales. After te Fifth Pay Commission's Report, a lot of money has been spent from the exchequer to implement the recommendations. Nearly fifty per cent of the money from the State exchequer goes towards payment of salaries to the Government servants. But what is the plight of these people? This also has to be taken care of.

Then, Sir, the owner should be made responsible to provide insurance cover to them. At least, to the extent of Rs. 25,000/-, insurance cover should be provided by the owner. Sir, in Tamil Nadu,

कार्यवाही करने की व्यवस्था भी इस कानून में होना बहुत जरूरी है।

श्रीमन्, हमारे देश को आजादी मिले 50 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह बीड़ी क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी अवस्था आज भी वैसी ही है, जैसी 50 साल पूर्व थी। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाहती, लेकिन कुछ बातें कहना जरूरी है, वह कहना चाहूंगी। मैं यह जरूरी समझती हूं कि बीड़ी के क्षेत्र में काम करने वाले बीड़ी वर्कर्स की जो कोपरेटिव सोसायटी बनी हुई है अलग-अलग प्रांतों में, उन कोपरेटिव सोसायटी को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। बीड़ी कामगार का एक सर्वे, जैसा मैंने पहले कहा, जरूरी है सारे देश में क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि सारे देश में इस बीड़ी क्षेत्र में काम करने वाले कितने लोग हैं। जैसा अभी कहा गया कि इस सेस की मार्फत जो पैसा हमें मिलेगा, उस पैसे का जिस तरीके से आप लोग उपयोग करने जा रहे हैं, मुझे लगता है, जैसे हमारे एक भाई ने एक बहुत अच्छा सुझाव इस बारे में रखा, गुफरान साहब कह रहे थे, उन-उन इलाकों के, उस उस प्रांत के संसद सदस्य को अगर आप इसमें इन्वोल्व करें तो मुझे लगता है कि वह पैसा सही ढंग से सही रूप से उस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकेगा और उसका लाभ वहां के वर्कर्स के साथ-साथ संसद सदस्य को भी मिलेगा कि भाई, हमने भी उनके लिए कुछ ध्यान इस काम में लगाया है।

श्रीमन्, इन चंद सुझावों के साथ मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि यह जो मैंने दो-चार बातें कही हैं, उनके ऊपर वह जरूर ध्यान दें। अंत में आपका अभिनंदन करते हुए, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

डा० सत्यनारायण जटिया: माननीय महो बीड़ी के सेस से संबंधित इस विधेयक पर जो सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए है, वह निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं। बीड़ी मजदूरों के बारे में यह संसद सोचती है और गहन, गंभीर विचार करके उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता करती है, यह निश्चित रूप से इन सुझावों के माध्यम से प्रकट होकर आया है।

महोदय, बीड़ी कामगारों की संख्या के बारे में कहा गया, निश्चित रूप से घर पर काम करने वालों को यदि मिलाकर गिनती करेंगे तो यह संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि यह जो शैड में काम करते हैं या जो उनके आइडेंटीफिकेशन के आधार पर जो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, उनके आधार पर यह संख्या वास्तविक नहीं है। घरों में काम करना ज्यादा आसान है क्योंकि घर का काम करते हुए महिलाओं को और घर के सदस्यों को यह काम करना सुविधाजनक हो जाता है। इसलिए अधिकांश तो यह एक तरह से घरों के अंदर ही बैठकर काम करने की एक आदत हो गई है और जैसा कहा गया, बीड़ी बनाने का काम केवल एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पूरा का पूरा समूचा परिवार इसे करता है। इतना ही नहीं, इस बीड़ी के काम में बनवासी के लिए पत्ते लाने से लेकर फिर उसके सारे बोरे बनाकर लाने में उसको मुश्किल होती है। मुश्किल यह होती है कि पत्ते यदि ठीक प्रकार के नहीं हैं, पत्ते यदि गल गए हैं, पत्ते यदि सड़ गए हैं तो उनकी नसें साफ करते करते वह टूट जाते हैं और उसके बाद उससे बीड़ी बनाना मुश्किल हो जाता है। पत्ते गीले करके रखना, पत्तों को दबोच करके रखना फिर उसके बाद बीड़ी के लिए उसको उस साइज के काटना, यह सारे काम होते हैं। इन सारे कामों से बहुत से माननीय सदस्यों को वाफियत है। मुझे भी इसकी बहुत करीब से देखने का और समझने का मौका मिला है। इनकी सुरक्षा योजनाओं के बारे में भी अभी कहा गया। अभी बोलते हुए हमारी बहन बता रही थीं कि भविष्य निधि की योजना से हमने इस बात को कवर करने की कोशिश की है और 15 लाख ऐसे कामगारों को इसमें शामिल किया गया है। यह दायरा और भी बड़ा हो सकता है और निश्चित रूप से इसे बढ़ाने की जरूरत भी है। अस्पतालों के माध्यम से भी हम यह काम कर रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी है क्योंकि ये बहुत बड़े परिमाण में हैं और बिखरे हुए हैं। हम जानते हैं कि पत्ता तोड़ने का काम अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति करता है और इसमें जो अधिकांश लोग लगे हैं वे अनुसूचित जनजाति के, पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और ऐसे लोग हैं जिनके लिए रोजगार का कोई दूसरा मौका नहीं है। इसमें ऐसे लोग लगे हैं जो रोजगार की बेबसी में इस काम को अपनाए हुए हैं क्योंकि गुजारा करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं है और इसलिए वे इस काम को कर रहे हैं, चला रहे हैं।

शिक्षा के बारे में हम कह सकते हैं कि उनमें शिक्षा के लिए कोई अनुकूलता नहीं है। हम देख रहे हैं कि आज की जो शिक्षा है, आज शिक्षा का जो स्तर है, उसमें यदि हम कामगार के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश भी करें तो आज के जमाने की शिक्षा

में वह टिक नहीं पाएगा। इसलिए यह बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उनको छात्रवृत्ति देकर, प्रवेश देकर उनके लिए कुछ प्रबंध करने की कोशिश की जा रही है। आप तो जानते हैं कि यह जो राशि है, इसको एक रुपया बढ़ाने का उपाय करने का भी हम प्रबंध कर रहे हैं और उससे 40-42 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब यदि यह सारी वास्तविक संख्या लगाई जाए तो यह संख्या वास्तव में बढ़ जाएगी क्योंकि यदि इस अनुमान को सही मान लिया जाए तो भी एक कामगार को कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। जब हम मकान बनाने की बात करते हैं तो मकान बनाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि शेड में जाकर काम करने के लिए वे अपने आपको तैयार नहीं कर पाते। इसलिए यदि उनके रहने की ठीक व्यवस्था हो जाती है, स्वच्छता के वातावरण में रहना यदि हम उनके लिए मुहैया कराते हैं तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा काम होगा। सरकार की अनेक प्रकार की योजनाएं भी हैं—उनके लिए आवास की व्यवस्था करना, आवास साफ-सुथरा हो, पेयजल और प्रकाश का प्रबंध हो। तो ऐसे साफ-सुथरे आवास की व्यवस्था करने के लिए और जैसा कहा जा रहा है कि सांसदों को इन सारी योजनाओं में शामिल किया जाए, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इससे कोई इंकार नहीं कर सकता क्योंकि सांसदों का पार्टिसिपेशन उस काम को और उसकी देख-रेख को और सजग और सचेष्ट बनाने की दृष्टि से भी और उन्हें ठीक प्रकार से अंजाम देने की दृष्टि से भी सहायता कर सकता है। इसलिए इन को किस प्रकार से जोड़ा जाए, इसका उपाय करने में कठिनाई नहीं होगी। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है जिससे हमें उनके लिए कुछ बेहतर करने का और उनके बीच जाने का अवसर मिलेगा।

कुमारी सरोज खापर्डे: मंत्री जी, इसमें आप सैंट्रल गवर्नमेंट के साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट और संसद सदस्य, इन सबको इन्वाल्व करें।

डा० सत्यनारायण जटिया: मैं बता रहा था कि हमने अस्पताल दिए हुए हैं किन्तु अस्पतालों की स्थिति यह है कि ....(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी: माननीय मंत्री जी, मोबाइल अस्पताल बनाने की व्यवस्था करें।

कुमारी सरोज खापर्डे: मोबाइल अस्पताल दें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Let him complete.

डा० सत्यनारायण जटिया: 208 डिस्पेंसरीज हम चला रहे हैं और उसमें मोबाइल भी हैं। आपकी जिज्ञासा मैं समझ रहा हूं परन्तु धन की मर्यादा है, अर्थ की सीमा है और 40 करोड़ से 44 लाख से अधिक लोगों की भलाई की बात हमको करनी है। तो यह एक बेबसी है, एक मुश्किल है क्योंकि कुछ सीमाएं हैं, लेकिन उन सीमाओं में बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है, वह करने का काम किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह तो एक संशोधन के रूप में आया है, इस बिल में और अधिक संशोधन लाकर बीड़ी कामगारों के लिए और अधिक सुविधाएं और उनकी कार्य-दशाओं को सुधारने का काम किया जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी और सदन जिस तरह से इस बात का समर्थन कर रहा है, उसमें मैं समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार के जो कुछ सुझाव आ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह मेरे लिए आगे मार्गदर्शन का काम करने वाले हैं।

आपने अभी उनकी दुर्घटना के बारे में चिंता व्यक्त की है। इस बारे में हम कहना चाहते हैं कि दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत 25 हजार रुपए कामगार को देने का प्रावधान है और दुर्घटना में अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको इस योजना का लाभ मिलता है। प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में तीन हजार रुपए देने का प्रावधान है और यदि वह नेचुरल डेथ से मरता है, तब भी उसको सहायता देने का प्रावधान इसमें किया गया है।

आवास के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ई०डब्ल्यू०एस० स्कीम के अंतर्गत हमने हाउसिंग स्कीम को लिया हुआ है और इस दिशा में भी काम हो, इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे यहां पर 9 क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं—बंगलौर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, नागपुर, जबलपुर, कलकत्ता, इलाहाबाद, भुवनेश्वर और कर्मा, परन्तु हर कार्यालय को इस्टेब्लिश करना और उसके व्यय को सहन करना बहुत बड़ा काम होता है। इन कार्यालयों को मेंटेन करने के लिए आज हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए मुश्किल को आसान करने की दृष्टि से हमने उपाय किया था। अब लगभग 6 करोड़ रुपया बच गया है, बाकी के जो काम करने हैं, उसके लिए यह नाकाफी है। इसके लिए अतिरिक्त उपाय सुझाने की दृष्टि से मैंने ये सारी बातें कही हैं। एक सुझाव यह भी आया था कि इस सारी बात को बोर्ड में लाकर करना चाहिए। यह

पद्धति हमने अपना रखी है और बोर्ड में सलाह-मशविरा करने के बाद ही हम इसको करेंगे। इसके लिए सेंट्रल ऐडवाईज़री बोर्ड बना हुआ है और पिछली बार इसकी एक मीटिंग करके उसमें जो सुझाव आए थे, उनको कार्यान्वित करने का काम हम कर रहे हैं।

महोदय, जहां तक बीड़ी वर्कर्स के आईडेंटिफिकेशन की बात है, उसको पूरा करने के लिए राजय सरकारों की सहायता से वास्तविक संख्या क्या है, इसका पता लगाने का काम जरूर किया जाएगा और भी जानकारी मेरे पास है। जैसे आप लोग मिनिमम वेजेज की बात कर रहे थे। वैसे तो मिनिमम वेजेज की राज्य सरकारें चिंता करती हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश में 30.3.92 को प्रति हजार बीड़ी के लिए 18.65 रुपए की मजदूरी निर्धारित की गयी है। इसको बढ़ाने की दृष्टि से हमने वैस्ट जोन की एक मीटिंग की थी मिनिमम वेज तय करने के लिए।

श्री मोहम्मद आज़म खान: मैं मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। मिनिमम वेजेज बढ़ाए जाते हैं, यह तो सुना है और होता भी है लेकिन एक विडंबना इस देश में हुई है उत्तर प्रदेश में, उसे जरा आप दिखवा लीजिए। हमने 35 रुपए प्रति हजार बीड़ी के लिए मजदूरी निर्धारित की थी लेकिन एक गवर्नर साहब ऐसे आए जिन्होंने असेंबली से पास हुए कानून को अपने आदेश से बदलकर 26 रुपए प्रति हजार कर दिया था। कम से कम उस गवर्नर के आदेश को समाप्त करवाकर मजदूरी 35 रुपए प्रति हजार करवा दीजिए।

†श्री मुहम्मद आज़म खां: मैं मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। मिनिमम वेजेज बढ़ाए जाते हैं, यह तो सुना है और होता भी है लेकिन एक विडंबना इस देश में हुई है उत्तर प्रदेश में, उसे जरा आप दिखवा लीजिए। हमने 35 रुपए प्रति हजार बीड़ी के लिए मजदूरी निर्धारित की थी लेकिन एक गवर्नर साहब ऐसे आए जिन्होंने असेंबली से पास हुए कानून को अपने आदेश से बदलकर 26 रुपए प्रति हजार कर दिया था। कम से कम उस गवर्नर के आदेश को समाप्त करवाकर मजदूरी 35 रुपए प्रति हजार करवा दीजिए।†

†[ ]Transilteration in Arabic Script

जिन्होंने असेंबली से पास हुए कानून को अपने आदेश से बदलकर 26 रुपए प्रति हजार कर दिया था। कम से कम उस गवर्नर के आदेश को समाप्त करवाकर मजदूरी 35 रुपए प्रति हजार करवा दीजिए।†

डा० सत्यनारायण जटिया: आपने बताया है कि गवर्नर ने किया है। मैं आपकी बात की ताईद करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि यह मजदूरी असम में 38.20 रुपए है। आपको पता है कि न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय स्तर पर 35 रुपए है। बीड़ी मजदूरी तो एक हजार बीड़ी को रोल करने के आधार पर तय होती है। मेरे पास जो आंकड़े आए हैं, उनके हिसाब से 1.12.95 को इसे 38.20 रुपए किया गया था। बिहार में 20.12.95 को यह 30.50 रुपए है। इसी तरह दादरा-नागर-हवेली में 18.5.95 को यह 35 रुपए है। गुजरात में 2 जोन बने हुए हैं जिनमें से एक जोन में 1.4.96 को यह 42.10 रुपए है और दूसरे जोन में 41.75 रुपए है। कर्नाटक में यह 37.32 रुपए तय की गई है। केरल में 49.32 रुपए पर तय की गई है 30 नवंबर, 1993 को। मध्य प्रदेश में 29.1.94 को यह 22.50 रुपए तय की गई है। महाराष्ट्र में ...**(व्यवधान)**

श्री खान गुफरान जाहिदी: मान्यवर, ये वेजेज जो कहीं कम और कहीं ज्यादा हैं, इसकी वजह से फैक्ट्रियां और वर्कर्स एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ शिफ्ट करते रहते हैं। इससे बरबादी हो रही है। इसलिए जोन के हिसाब से इसको बनाया जाना चाहिए।

डा० सत्यनारायण जटिया: यदि सेंट्रली इस बारे में कुछ करने की जरुरत पड़ेगी तो हम अवश्य करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों को पूरा किया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और मानवीय पक्ष से जोड़कर अपनी बातों को यहां रखा। यह बात निश्चित रूप से हर कोई जानता है कि कैंसर, टी०बी० आदि बीमारियों का खतरा उठाकर ये लोग काम करते हैं। मुश्किल यह है कि इस खतरे को रोकने का काम जहां होना चाहिए और उस काम से विस्थापित लोगों के लिए रोजगार का अवसर क्या होना चाहिए, इसकी कल्पना किए बिना बाकी बातों को करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज जो स्थिति है, उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस

पर हमें सोचना चाहिए। इसमें वेजेज का मामला है, उनके शोषण का मामला है, उनके बच्चों की पढ़ाई का मामला है, उनके स्वास्थ्य और बीमारियों के उपचार का मामला शामिल है। हम जानते हैं कि कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करना तो बड़े-बड़े लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत में अगर कामगार कैंसर से पीड़ित हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति दयनीय होगी। ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो सुझाव आए हैं, वे हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। आप लोगों ने इस डिबेट को सार्थक दिशा में मोड़ा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

कुमारी सरोज खापर्डे: श्रीमन्, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि अन्तरभाव इन व्यवस्थाओं का किया, यह ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था आपके पास हो, वह मोबाइल हॉस्पिटल इसलिए जरुरी है कि यह सारे अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर में है और इन तक पहुंचने के लिए हम लोगों की ऐसी व्यवस्था होना बहुत जरुरी है ताकि उनके निदान के लिए दवा की या बाकी चीजों की हम व्यवस्था कर सकें। दूसरी बात, मुझे यह कहनी थी कि आपने कहा कि उनके बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस पैमाने पर जितने अच्छे ढंग से हमें बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान करना था उतने अच्छे ढंग से करने की व्यवस्था नहीं की है और मुझे लगता है कि आपने जो बेबसी की बात कही उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अगर वित्त मंत्री जी से बातें करें और अगर इन अन-आर्गनाइज्ड वर्कर्स के बारे में आपने उनकी दयनीय स्थिति का कुछ बयान किया हो या उनकी अवस्था से उनको परिचित कराया हो तो मुझे नहीं लगता कि वित्त मंत्री से आपको उनके लिए अधिक पैसा मंजूर कराने में कोई दिक्कत हो सकती थी। बेबसी दिखाने से फायदा नहीं है लेकिन उनकी व्यवस्था हमको किस तरीके से करनी चाहिए थी उसका हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।

श्री मोहम्मद आज़म खान: महोदय, मंत्री जी ने बहुत सादगी से अपनी बात कही और दिल को अच्छी लगी। एक चीज रह गई शायद उस पर नजर नहीं गई या मसलेहतन मंत्री जी ने उस पर रोशनी नहीं डाली। अगर आप उसे सदन में कह देंगे तो पूरे देश में उसका मैसेज जाएगा। श्रम विभाग का पूरे देश में नेटवर्क है, प्रदेश सरकारों का अपना है, केन्द्र सरकार का अपना है, लेबर कमिश्नर होते हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर होते हैं, हर जगह इंस्पेक्टर होते हैं और यह इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्ट करते हैं कि कितनी बीड़ी बनी है और कितनी बीड़ी पर एक्साइज ड्यूटी अदा हो रही है और कितने पर नहीं। अगर आपकी तरफ से एक सर्क्यूलर चला जाएगा कि एक्साइज ड्यूटी की चोरी को बंद किया जाए तो मैं पूरे भरोसे से कहता हूं कि इस सदन में आपके कह देने से ही एक्साईज ड्यूटी की चोरी में कमी आ जाएगी और इससे समाज का भी भला होगा, देश का भी भला होगा और गरीब मजदूरों का भी भला होगा। इस पर कुछ कहदें आप, कहने से ही फायदा पहुंचा जाएगा।

†اعظم محمد اعظم خاں: مہودے۔ نرتی جی نے بہت سادگی سے اپنی بات کہی اور دل کو اچھی لگی۔ ایک چیز رہ گئی شاید اس پر نظر نہیں گئی یا مصلحتاً منتری جی نے اس پر روشنی نہیں ڈالی۔ اگر آپ اسے سدن میں کہہ دیں گے تو پورے دیش میں اسکا سندیش جائیگا شرم وبھاگ کا پورے دیش میں نیٹ ورک ہے۔ پردیش سرکاری کا اپنا ہے۔ کیندر سرکار کا اپنا ہے لیبر کمشنر ہوتے ہیں۔ ڈپٹی لیبر کمشنر ہوتے ہیں۔ ہر جگہ انسپکٹر ہوتے ہیں اور یہ انسپکٹر ہی انسپکٹ کرتے ہیں کہ کتنی بیڑی بنی ہے اور کتنی بیڑی پر ایکسائز ڈیوٹی ادا ہو رہی ہے اور کتنے پر نہیں۔ اگر آپ کی طرف سے ایک سرکولر چلا جائیگا کہ ایکسائز ڈیوٹی کی چوری کو بند کیا جائے تو میں پورے بھروسے

†[ ]Transliteration in Arabic Script

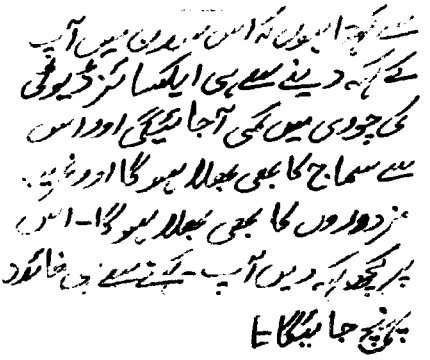

SHRI E. BALANANDAN: Sir, I am moving my amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES) They are seeking clarifications from the hon. Minister. Do you want to seek any clarification from the hon. Minister?

SHRI E. BALANANDAN: No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Balanandan, I will call you when your time comes to move the amendment.

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं और वह यह कि जब हर घरेलू सनत के लिए फैलाने की बात हो रही है तो इस सनत को भी हालांकि वह ठीक नहीं है, लेकिन इस सनद को रोजी-रोटी के नाम पर फैलाने की जो बात है उस पर मैंने एक सुझाव दिया था एक्सपोर्ट के सिलसिले में, उस पर भी अगर कुछ विचार किया जाए, उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाए तो मैं समझता हूं बेहतर है। कुछ विचार किया जाए, कंसीड्रेशन में भी कुछ बात बनती है तो उनका ही भला होगा, सब लोगों का भला होगा, मजदूरों का भी भला होगा।

श्री सनातन बिसि: हम चाहते हैं कि मंत्री जी को यह एश्यूरेंस देना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी होगी उसमें सभी एम०पीज० को लिया जाएगा?

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने सुझाव दिया था उस पर मंत्री जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों की छात्रवृत्ति के बारे में जो मार्क्स का बेसिस रखा गया है उसको समाप्त करने पर विचार किया जाएगा?

डा० सत्यनारायण जटिया: महोदय, निश्चित रूप से समय की सीमा और मर्यादा के कारण ही बहुत सारी बातों को नहीं बोलने का कारण हो गया। परन्तु आपने पूछा है तो बहुत सारी बातें जो हम कर रहे हैं जिसमें छात्रवृत्ति भी शामिल है, प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, कॉलेज स्तर पर भी उसकी व्यवस्था है और कहीं स्पशेल एजूकशन करना है, तो उसका प्रावधान भी उसमें है। हमने हॉस्पिटल के लिए मोबाइल और स्टेटिक दोनों ही प्रकार की सुविधाओं को बनाया है और इसमें और ज्यादा करने की दृष्टि से क्या संभावना होगी उसको भी किया जा सकता है। एक्साइज ड्यूटी के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। निश्चित रूप से इस एक्साइज ड्यूटी के काम को भी यदि ध्यान से पूरा करने का काम हो जाएगा तो इस सेस की वृद्धि काफी बड़ी हो सकती है। उस दृष्टि से मैं इस संबंध में आग्रह करना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि सेस को उगाहने की दृष्टि से ठीक प्रकार का, विशेष प्रकार का प्रयास किया जाए। यहां मोटे तौर पर कुछ बातें आई हैं, उन सारी बातों का उत्तर देने की मैंने कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि...(**व्यवधान**)...

कुमारी सरोज खापर्डे: सांसदों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी: सांसदों को शामिल करें ताकि वे अपने फंड से कुछ उनको दे सकें।

डॉ सत्यनारायण जटिया: मैं यह निवेदन तो कर ही सकता हूं कि इस बारे में जिन संवेदनाओं को हमने व्यक्त किया है, उसमें यह भी एक पक्ष है जिसको पूरा किया जा सकता है और यदि सांसद इसके लिए अस्पताल बना कर देंगे तो उनको चलाने का काम...(**व्यवधान**)...

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी: यही चीज़ चाहिए।

कुमारी सरोज खापर्डे: उनको चलाने का काम कौन करेगा?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Minister, be very brief because we have got one Bill more and also a statement.

डॉ सत्यनारायण जटिया: मैं इन सारी बातों के लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): The question is:

"That the Bill further to amend the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 (Amendment of section 3 of Act 56 of 1976)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): There is one amendment to Clause 2.

SHRI E. BALANANDAN: Sir, I move:

"That the Rajya Sabha recommends to the Lok Sabha that the following amendment be made in the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998, as passed by the Lok Sabha, namely:—

That at page 1, for clause 2, the following clause be *substituted*, namely":—

2. In the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, in section 3,—

(a) in sub-section (1), for the words "not be less than ten paise or more than fifty paise", the words "not be less than fifty paise or more than five rupees" shall be substituted;

(b) after sub-section (1), the following proviso shall be added, namely:—

"Provide that the amount of Cess will be determined by the Government with the approval of the Beedi Workers' Welfare Advisory Board."

Sir, I am only making a submission. Mr. Minister, I have told you that this is not the trust, but the point is that the Government should not always decide the amount of the cess. Though you have taken the power under the law that one rupee is to be given now and, whenever necessary, the Government will decide, I only want that the Government, before doing that, must get the permission of the Beedi Workers' Welfare Advisory Board. That is all.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Are you withdrawing it, Mr. Balanandan?

SHRI E. BALANANDAN: Sir, let the Minister give me an assurance.

DR. SATYANARAYAN JATIA: We are already having the provision and after consulting the Advisory Board we increase it. एडवाईज़री बोर्ड के अंदर हम सजेशन लेकर ही इसको बढ़ाते हैं, इसमें पद्धति उपलब्ध है, इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं है।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir,...*(interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Nilotpal Basu, you cannot speak. The hon. Member, Shri Balanandan, has a right to speak. You cannot intervene.

SHRI E. BALANANDAN: Sir, I am only saying that the Minister should give me an assurance that this would be acceded to. In that case, I don't want to press the amendment. That is all.

DR. SATYANARAYAN JATIA: I assure you that it will be done.

SHRI E. BALANANDAN: That is sufficient.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Are you withdrawing it or pressing it?

SHRI E. BALANANDAN: I am withdrawing it.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): The question is:

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

[7.00 P.M.]

DR. SATYANARAYAN JATIA: Sir, I beg to move: "That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): We have one more Bill. There are 8 speakers. If the hon. Members can be brief, I think we can complete this Bill also. Then there is a *suo motu* statement by the hon. Minister of Civil Aviation. If the hon. Industry Minister yields, he can make the statement.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): I am yielding.

SHRI VAYALAR RAVI: On what issue is this statement? Is it on the dornier crash in Cochin, Kerala? After making the statement, we want to seek some clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): There is one Bill to be moved by the Industry Minister. If the Industry Minister yields, you can make the statement.

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): He has yielded, Sir.

SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI: As the statement is coming, the Bill should be deferred.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): No. I am not deferring the Bill.

SHRI ANANTH KUMAR: Sir, it is a *suo motu* statement. Just now I am coming from the accident spot. *(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, before making the statement he has to circulate the copies. Without circulating the copies how can he make a *suo motu* statement?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): Hon. Minister, the procedure in this House is that when you make a ***suo motu*** statement, copies of your statement are to be circulated to the hon. Members in English and Hindi. When a statement is made the hon. Members have a right to seek clarifications. That is the procedure. Do you have the copies of the statement? Do you want to defer it to Monday? Have you got printed copies of the statement?

SHRI ANANTH KUMAR: Sir, actually in the other House it was made as a *suo motu* statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): The procedure is different in this House.

SHRI ANANTH KUMAR: Yes, Sir. I agree.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Whenever a Minister starts making a *suo motu* statement the practice is that his statement is circulated among the Members. If the Department is not ready with the statement, I think it will be advisable on the part of the Minister to make his statement on Monday when the statement could be made available to the Members and the Members could also seek clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): Mr. Minister, you will make the statement on Monday. Now we will take up the second Bill. Mr. Sikander Bakht is to move the Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertakings (Amendment) Bill, 1998.